उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-50/2020/531/92-2-20-154जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 20 फरवरी 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद एवं देवीपाटन मण्डल गोण्डा के कार्यकाल में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के निर्माण कार्यो में अनियमितता एवं शिथिलता बरतने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-55/2016/1518/92-2-16-154 जांच/2015 दिनांक 26-09-2016 द्वारा श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद एवं देवीपाटन मण्डल गोण्डा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ के पत्र संख्या-99/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-फैजाबाद/आ0लि0-28/2017-18 दि0 09-05-2018 द्वारा अपचारी अधिकारी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी बचाव उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में उपलब्ध करायी गयी एक पक्षीय जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से आरोप सं0-1 व 2 स्थापित न होना तथा आरोप सं0-3 व 4 स्थापित होना पाया गया। स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र सं0-1753/92-2-18-154जांच/15 दि0 10-07-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी, श्री श्रीवास्तव का अभ्यावेदन मांगा गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.09.2017 को सेवानिवृत्त के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-72/2018/1171/92-2-18-154जांच/2015 दिनांक 10.07.2018 द्वारा प्रश्नगत अनुशासनिक जॉच को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित कर दिया गया।

3- अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन हेतु निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत शासन के पत्र दि0 06.09.2018, 02.01.2019 व 27.05.2019 द्वारा अनुस्मरण कराया गया। अभ्यावेदन अप्राप्त रहने पर पुन: शासन के पत्र दिनांक 19.09.2019, 18.10.2019 व 18.11.2019 से श्री श्रीवास्तव को मौखिक/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु क्रमश: दि0 10.10.2019, 04.11.2019 व 03.12.2019 को शासन में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के उपरांत भी न तो अपचारी अधिकारी श्री श्रीवास्तव का बचाव उत्तर प्राप्त हुआ और न ही वे शासन द्वारा निर्धारित समय व तिथि पर मौखिक/व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुये।

4- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री एम0के0 श्रीवास्तव पर अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से आरोप सं0-1, 2 व 3 स्थापित होना नही पाया गया तथा आरोप सं0-4, जो कि निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरांत अनुबंध गठन किये जाने में विलम्ब हेतु था, पूर्णरूपेण स्थापित पाया गया, परन्तु उक्त स्थापित पाये गये आरोप में अपचारी अधिकारी द्वारा किये गये विलम्ब हेतु उनके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सेवानैवृत्ति के दृष्टिगत प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के कारण श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद एवं देवीपाटन मण्डल गोण्डा के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-09-2016 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-50/2020/531/(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !
2- श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-फैजाबाद एवं देवीपाटन मण्डल गोण्डा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।